न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद सं0 :— 34/2019

उनवान

1. रेखा देवी पत्नी मोहनलाल जांगिड
2. शिमला देवी पत्नि बनवारीलाल

समस्त जाति खाती निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

3. शांति देवी पत्नि शिवराम जाति गुर्जर निवासी टोडी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा
4. सोनीदेवी पत्नि सुवालाल जाति यादव निवासी छारसा तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. सुनिल पुत्र कजोड
2. किरण पुत्री कजोड

समस्त जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर
4. उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए–1955</u>

निर्णय दिनांकः 15.10.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वादपत्र पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 5292/1 रकबा 0.14 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार सह खातेदार काश्तकार है तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर पक्का निर्माण तथा पुख्ता तामीरात कर काबिज है। उक्त आराजी का खातेदारो के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी मुतनाजा मुख्य सड़क से लगती हुई है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है ओर वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी लठेत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 4 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्व करानें तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है । प्रतिवादी सं0 1 व 2 सहखातेदार काश्तकार मृतक कजोड़ के विधिक वारिसान है जिनका अभी नामान्तकरण नहीं खुला है तथा यह मृतक कजोड के विधिक वारिसान होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

दिनांक 23.9.2019 को वादीगण अपनी आराजी की सार सम्भाल कर रहे थे तब प्रतिवादगण आराजी मुतनाज पर 2–4 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग का नापजोख करने लगे तब वादीगण ने उनसे नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा एलानियां धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उनके पक्ष मे अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर रहेगें । तथा अजनबी व्यक्ति का वादीगण को जबरन बैदखल कर आराजी के विशिष्ट भू भाग कर कब्जा करवाकर रहेगें। प्रतिवादीगण के द्वारा अजनबी व्यक्तियो को अन्तरण डीड पंजीबद्व करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराजी मुतनाजा से जबरन बैदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवा देगें तो अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमाबाजी बढेगी । इस कारण वादीगण ने यह वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धारण किया जावे ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सुचित किया गया। बावजूद सूचना के प्रवितादी सं. 1 लगा0 2 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को दिनांक 9.10.2019 को आदेशित किया गया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जे कास्त को मध्यनजर रखते हुए राजस्व नियमावली के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवावे। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/4093 दिनांक 14.10.2019 को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक दावा डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीगण/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 1व 2के नाम आराजी ख0नं0 5292/1 रकबा 0.0144 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
2. वादी सं0 3 के नाम आराजी ख0नं0 5292/6 रकबा 0.0370 है0 व 5292/8 रकबा 0.0149 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0519 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
3. वादी सं0 4 के नाम आराजी ख0नं0 5292/9 रकबा 0.0037 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
4. वादी सं0 1 व 2 के नाम आराजी ख0नं0 5292/7 रकबा 0.07 है0 हिस्सा 1/2–1/2 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद सं0 :– 34/2019
उनवान

1. रेखा देवी पत्नी मोहनलाल जांगिड
2. शिमला देवी पत्नि बनवारीलाल
समस्त जाति खाती निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. शांति देवी पत्नि शिवराम जाति गुर्जर निवासी टोडी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा
4. सोनीदेवी पत्नि सुवालाल जाति यादव निवासी छारसा तहसील शाहपुरा

वादीगन

बनाम

1. सुनिल पुत्र कजोड
2. किरण पुत्री कजोड
समस्त जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर
4. उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगन

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए–1955</u>

निर्णय दिनांकः 15.10.2019

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीगण/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 1व 2के नाम आराजी ख0नं0 5292/1 रकबा 0.0144 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
2. वादी सं0 3 के नाम आराजी ख0नं0 5292/6 रकबा 0.0370 है0 व 5292/8 रकबा 0.0149 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0519 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
3. वादी सं0 4 के नाम आराजी ख0नं0 5292/9 रकबा 0.0037 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
4. वादी सं0 1 व 2 के नाम आराजी ख0नं0 5292/7 रकबा 0.07 है0 हिस्सा 1/2–1/2 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं अन्दाजी पैदा नहीं करें ।

आज तारीख 15.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ... रुपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2020.03.04 14:50:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: